फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : सुश्री प्रीति — **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 16/24**

जीसीएमएस : 2024/515

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.11.2024 पत्रावली अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि मुझ अपीलान्ट के पिता फतेहसिंह का स्वर्गवास हो जाने से ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 27.08.2024 भरा गया था जो ग्राम पंचायत द्वारा सहवन से निरस्त हो गया, जिसे पुनः स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा दिनांक 27.08.2024 को विरासत के नामान्तरकरण को खारिज किया गया हैं। विरासत के नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे में ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा विरासत के नामान्तरकरण सं. 1282 दिनांक 27.08.2024 को खारिज किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में फतेहसिंह पिता नाहरसिंह राव के विधिक वारिसों की जांच करते हुए विरासत का नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:13 IST
Reason: SelfAttested